



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 17 फरवरी, 2026

माघ 28, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 04/2026/118/सात-न्याय-2-2026-201जी-95

लखनऊ, 17 फरवरी, 2026

अधिसूचना

प0आ0-37

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश पेट्री अफेन्सेस (ट्रायल बाई स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स) रूल्स, 1997 के नियम 4 के उपनियम (दो) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46, सन् 2023) की धारा 11 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 18/2024/297/सात-न्याय-2-2024-201जी-95, दिनांक 19 जून, 2024 का आंशिक उपांतरण करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर निदेश देते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित व्यक्तियों, जिनकी नियुक्ति उक्त उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गयी है, का नाम पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 19 जून, 2024 से तत्काल प्रभाव से निकाल दिया जायेगा।

अनुसूची

क्रम-संख्या	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	जिला
1	2	3
1	श्री रवि कुमार सिंह	गोण्डा
2	श्री राजा सिंह यादव	जालौन स्थान उरई

आज्ञा से,

उदय प्रताप सिंह,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 04/2026/118/VII-Nyay-2-2026-201G-95, dated February 17, 2026:

No. 04/2026/118/VII-Nyay-2-2026-201G-95

Dated Lucknow, February 17, 2026

IN exercise of the powers under Section 11 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no.46 of 2023) *read* with sub-rule (ii) of Rule 4 of the Uttar Pradesh Petty Offence (Trial by Special Judicial Magistrates) Rules, 1997 and Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of Government notification no. 18/2024/297/VII-Nyay-2-2024-201G-95, Dated June 19, 2024, the Governor, on the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to direct that name of the persons mentioned in the Schedule below whose appointments have been cancelled by the said High Court, shall be omitted from the aforesaid notification dated June 19, 2024 with immediate effect.

SCHEDULE

Sl. no.	Name of SJMs	District
1	2	3
1	Sri Ravi Kumar Singh	Gonda
2	Sri Raja Singh Yadav	Jalaun at Urai

By order,
UDAI PRATAP SINGH,
Pramukh Sachiv.